



महिला किसानों के लिए मित्रवत् पुस्तिका



कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की
सरकारी योजनाओं/मिशनोँ के अन्तर्गत
महिला किसान के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित पुस्तिका

राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केन्द्र
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



महिला किसानों के लिए मित्रवत् पुस्तिका

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की
सरकारी योजनाओं/मिशनों के अन्तर्गत
महिला किसान के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित पुस्तिका

राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केन्द्र
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावना

कृषि ग्रामीण आजीविका का एक मुख्य साधन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल 1.2 बिलियन जनसंख्या का 70 प्रतिशत, लगभग 833 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। महिलाएं कृषि संबंधी सभी क्रियाकलापों में बुआई से लेकर कटाई और कटाई उपरांत तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

किसानों के लिए बनी राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में कृषि में महिलाओं की भूमिका को अत्यधिक महत्व देने के साथ-साथ कृषि विकास एजेंडा में उनसे संबंधित मुद्दों को भी प्राथमिकता दी गई है। तदनुसार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों/मिशनों में महिला समर्थित गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहा है ताकि किसानोपयोगी सभी लाभदायी क्रियाकलापों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में स्थापित राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केन्द्र ने कृषि संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता पर पूरी तरह से अमल करते हुए विभाग की सभी प्रमुख गतिविधियों के अन्तर्गत 'महिला समर्थित गतिविधियों' को उजागर करते हुए एक पुस्तिका प्रकाशित करने का प्रयास किया है।

इस पुस्तिका में महिलाओं के लिए सहायता के विशेष प्रावधानों एवं पैकेजों को सम्मिलित किया गया है। जिसे महिला कृषक, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में चल रहे मिशनों/उप मिशनों/स्कीमों के अंतर्गत सहायता के लिए दावा कर सकती हैं। आशा की जाती है कि आत्मा संस्था के अंतर्गत

राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर तैनात वचनबद्ध विस्तारकर्मियों का समूह इन क्रियाकलापों से महिलाओं को न केवल अवगत कराएगा बल्कि उन्हें महिलानुकूल प्रावधानों का पूरा लाभ दिलाने के अवसर भी उपलब्ध कराएगा।

इस प्रकार से महिला किसान/लाभार्थियों को तुरंत सहायता और सुविधाओं की जानकारी/लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी जिला स्तरीय परियोजना निदेशक (आत्मा)/उप निदेशक (कृषि) कार्यालय या ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक/सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधकों (आत्मा) से सम्पर्क करना चाहिए।

विभिन्न स्कीमों/मिशनों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

क्र.सं.	स्कीम/मिशन और घटक	प्रावधान
क)	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) – कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी संबंधी उप मिशन (एसएमएई)	
1)	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा)	
अ)	विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
	i) महिला खाद्य सुरक्षा समूह (एफएसजी) को प्रोत्साहन	<ul style="list-style-type: none"> ✓ अनिवार्य गतिविधि के रूप में आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत घरेलू/गृह स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित और समर्थित विशेषतः महिला किसान समूहों को गृहवाटिका, गैर कृषि गतिविधियों जैसे; सूकर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि को प्रोत्साहन देने के लिए @ रु. 0.10 लाख प्रति समूह/प्रति वर्ष आवंटित। ✓ प्रति ब्लॉक न्यूनतम दो खाद्य सुरक्षा समूह के लिए सहायता उपलब्ध।
	ii) 'महिला समन्वयक' के लिए सहायता	<ul style="list-style-type: none"> ✓ प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और किसान सहायता इत्यादि के अंतर्गत महिलाओं के लिए निधि और लाभ आवश्यकतानुसार और उनकी संख्या के अनुपात में आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर



			पर समप्रित विस्तार कर्मियों के दल में एक महिला समन्वयक के लिए सहायता उपलब्ध है।
	iii)	महिला किसानों का निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व	✓ जिला स्तर पर आत्माशासी एवं आत्मा प्रबंधन समिति तथा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय किसान सलाहकार समितियों में महिला किसानों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
	iv)	लाभार्थी के रूप में	✓ कुल स्कीम लाभार्थियों का 30% महिला किसान होना आवश्यक है और ✓ कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए आवंटित संसाधनों का न्यूनतम 30%, महिला किसानों और महिला विस्तार कर्मियों के लिए आवंटित किया जाना है।
ब)	प्रावधान (जहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है।)		
	v)	आमदनीजनक कार्यों के लिए, एक मुश्त राशि और आवर्ती निधि का प्रावधान।	✓ रुपये 0.10 लाख प्रति समूह (पुरुष एवं महिलाओं को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर) (केवल व्यवहार्य समूहों के लिए) दी जा सकती है।
	vi)	क्षमता एवं कौशल विकास व अन्य सहयोगी सेवाओं के लिए	✓ रुपये 0.05 लाख प्रति समूह/वर्ष (पुरुष एवं महिलाओं को) (अधिकतम 20 समूह प्रति ब्लाक) के लिए दी जा सकती है।
	vii)	एक किसान मित्र 2 गाँव के लिए	✓ रु. 6000 प्रतिवर्ष/प्रति किसान मित्र। ✓ किसान मित्र के लिए पुरुष की तुलना में महिला को प्राथमिकता।



2)	एग्रीक्लिनिक् एव एग्रीबिजनेस केन्द्र (एसीएबीसी)		
अ)	प्रावधान (जहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है।)		
	i)	बैंक एंडिड कम्पोजिट सब्सिडी	✓ कुल परियोजना लागत का, पुरुषों के लिए 36% की तुलना में महिलाओं के लिए 44% बैंक एंडिड कम्पोजिट सब्सिडी।
3)	कृषि विस्तार के लिए जन संचार सहायता		
अ)	प्रावधान (जहाँ महिलाएं पुरुषों के साथ/अधिक या बराबर प्राप्त करती हैं।)		
	i)	महिलाओं तक पहुँच	✓ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में महिला किसानों के कार्य क्षेत्र से संबंधित सूचना/जानकारी प्रदान करने के लिए अलग से एक दिन निर्धारित।
ख)	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)		
	अ)	विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
	i)	लाभार्थी के रूप में	<ul style="list-style-type: none"> ✓ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान। ✓ बागवानी मशीनीकरण के लिए उत्पादक संगठनों, किसान समूहों, स्व-सहायता समूहों, महिला किसान समूहों, जिसके कम से कम 10 सदस्य बागवानी फसलों की खेती कर रहे हों; बशर्ते ऐसे समूहों द्वारा मशीनों और उपकरणों की लागत का शेष 60% खर्च वहन किया



			जाता है। राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) मशीनों और उपकरणों की विधिवत देख-रेख, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संगठनों/समूहों के साथ सहमति पत्र तैयार करेगा।
	ब)	सामान्य प्रावधान (जहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती हैं।)	
	1.	कृषि मशीनों एवं उपकरणों की खरीद (सब्सिडी पद्धति)	
	1.1	ट्रैक्टर	
	i)	ट्रैक्टर (20 पीटीओ हार्सपावर तक) (लागत मानक—रु. 3.00 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए लागत का 35%, अधिकतम 1.00 लाख रुपये प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए लागत का 25%, अधिकतम रु 0.75 लाख/इकाई।
	ii)	पावर टिलर	
		पावर टिलर (8 हार्सपावर से कम) (लागत मानक—रु. 1.00 लाख प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.50 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम रु. 0.40 लाख/इकाई।
		पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक) (लागत मानक रु. 1.50 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.75 लाख/प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम रु. 0.60 लाख/प्रति इकाई।



iii)	ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण (20 बीएचपी से कम)	
	भूमि विकास, जुताई और बीज की क्यारी बनाने का उपकरण (लागत मानक रु. 0.30 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.15 लाख जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई।
	बुवाई, रोपाई, कटाई एवं खुदाई यंत्र (लागत मानक रु. 0.30 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.15 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई।
	प्लास्टिक मल्टिंग मशीन (लागत मानक रु. 0.70 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.35 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.28 लाख/प्रति इकाई।
	हस्तचालित बागवानी मशीनें (लागत मानक रु. 2.50 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 1.25 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 1.00 लाख/प्रति इकाई।
	पौध संरक्षण उपकरण मैन्चुल स्प्रेयर : नैपसैक/पदचालित स्प्रेयर (लागत मानक रु. 0.012 लाख/प्रति इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.006 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.005 लाख/प्रति इकाई।



	<p>पावर चालित नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 8-12 लीटर)</p> <p>(लागत मानक रु. 0.062 लाख/प्रति इकाई)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.031 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.025 लाख/प्रति इकाई।</p>
	<p>पावर नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 12-16 लीटर)</p> <p>(लागत मानक रु. 0.076 लाख/इकाई)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.038 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.03 लाख/प्रति इकाई।</p>
	<p>पावर नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)</p> <p>(लागत मानक रु. 0.20 लाख/इकाई)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.10 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.08 लाख/प्रति इकाई।</p>
	<p>ट्रैक्टर धारक/चालित स्प्रेयर (20 हार्स पावर से कम)</p> <p>(लागत मानक रु. 0.20 लाख/इकाई)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.10 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.08 लाख/प्रति इकाई।</p>
	<p>ट्रैक्टर धारक/चालित स्प्रेयर (35 हार्स पावर से अधिक)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए लागत का 50% अधिकतम रु. 0.63 लाख / इकाई जबकि पुरुषों के लिए लागत का</p>



	(लागत मानक रु. 1.26 लाख/इकाई)	40% अधिकतम रु. 0.50 लाख/प्रति इकाई।
	पर्यावरण हितैषी लाईट ट्रेप (लागत मानक रु. 0.086 लाख/इकाई)	✓ महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.014 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई।
2.	बाँस मिशन के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार (एमआईडीएच)	
	वन क्षेत्र/सार्वजनिक भूमि (जेएफएमसी/पंचायती राज संस्थान/स्वसहायता समूह/महिला समूह इत्यादि) के माध्यम से	✓ लागत मूल्य का 100% तीन किस्तों में (50:25:25) (अधिकतम सब्सिडी प्रति इकाई क्षेत्र 42,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर) महिला एवं पुरुष दोनों के लिए।
3.	नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) एमआईडीएच के अंतर्गत	
	प्रौद्योगिकी का अंगीकरण (बैंक एंडिड क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी)	✓ परियोजना लागत का 33.3 % महिलाओं के लिए जबकि 25% पुरुषों के लिए।
ग)	राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम आधारित मिशन (एनएमओओपी)	
	अ)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)
	i)	महिला समूहों को प्रोत्साहन
		✓ प्रमाणित बीजों के वितरण में राज्य सरकारों द्वारा एसएचजी /एफआईजी / एफपीओ/सहकारिताओं इत्यादि के साथ महिला समूहों को भी सम्मिलित किया जाए।



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य सरकारों द्वारा किसान स्व-सहायता समूहों/किसान हित समूहों/सहकारी समितियों/एफपीओ के साथ-साथ महिला समूहों को भी पट्टे पर बीज नर्सरी लगाने/संयुक्त उद्यम शुरू करने हेतु सहायता दी जाती है। ✓ राज्य सरकारें वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत इस घटक के लिए किसान संगठनों/स्व-सहायता समूहों/किसान समूहों/सहकारी समितियों के साथ-साथ महिला समूहों को सहायता कर सकती हैं। ✓ निर्धारित तेल वाले पेड़ (TBOs) के लिए मिनी मिशन-III के अंतर्गत, पूर्व-प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और तेल निकालने की मशीन लगाने के लिए किसान संगठन, एफपीओ/एफआईजी/एसएचजी/सहकारी समितियों के साथ-साथ महिला समूह भी संगठन सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे।
ब)	प्रावधान (पुरुषों की तुलना में जहाँ महिलाएं बराबर/अधिक लाभ प्राप्त करती हैं) अधिकतम देय अनुदान	
ii)	हस्त चालित स्प्रेयर: नैप सैक/पद चालित स्प्रेयर, पर्यावरण हितैषी लाइट ट्रेप (एनसीआईपीएम)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 800/- रुपये प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए 600/- रुपये प्रति इकाई।



iii)	नैपसेक और ताइवानी स्प्रेयर के लिए (क्षमता 16 लीटर से कम) @ खरीद लागत का 50%	✓ महिलाओं के लिए 3,800/- रुपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 3,000/- रुपये प्रति इकाई।
iv)	नैपसेक और ताइवानी स्प्रेयर के लिए (क्षमता 16 लीटर से अधिक) @ खरीद लागत का 40%	✓ महिलाओं के लिए 10,000/- रुपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 8,000/- रुपये प्रति इकाई।
v)	हस्त/पशु चालित उपकरण, चिज़लर सहित (@लागत का 40%)	✓ महिलाओं के लिए 10,000/- रुपये प्रति उपकरण (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 8,000/- रुपये प्रति उपकरण।
vi)	ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण जैसे; रोटावेटर/सीड ड्रिल/ज़ीरो टिल सीड ड्रिल/बहुफसलीय प्लांटर/ज़ीरो टिल बहुफसलीय प्लांटर/रिज फुरो प्लांटर/ऊँची क्यारी प्लांटर/ पावर वीडर/मूंगफली खोदक और बहुफसलीय थ्रेशर	✓ महिलाओं के लिए 63,000/- रुपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए रु. 50,000/- प्रति इकाई।
vii)	ट्रॉली के साथ छोटा ट्रैक्टर (खरीद लागत का 25%)	✓ महिलाओं के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 0.75 लाख रुपये प्रति इकाई।



viii)	<p>किसान संगठनों / एफपीओ / एफआईजी / एसएचजी / महिला समूहों, सहकारिताओं / संघों को पूर्व-प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और तेल निकालने के उपकरणों का वितरण।</p>	<p>✓ परियोजना लागत का 30% क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड (Back ended) सब्सिडी (30% सब्सिडी, 50% ऋण, 20% स्वयं का भाग), प्रति संगठन / व्यक्ति द्वारा एक इकाई / परियोजना स्थापित करने के लिए 6.50 लाख तक सीमित।</p>
ix)	<p>बीज वाटिका की स्थापना के लिए राज्य कृषि / बागवानी विभागों के माध्यम से संयुक्त उद्यम (75:25) शुरू करने, बीज वाटिका पट्टा पर देने के लिए / किसानों एसएचजी / एफआईजी / महिला समूहों / सहकारी समितियों / एफपीओ को सहायता</p>	<p>✓ राज्य सरकार के माध्यम से ऑयल पाम किसान संगठन / सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा 15 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नई बीज वाटिका लगाने के लिए सब्सिडी के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रुपये की एक मुश्त सहायता।</p> <p>✓ आवर्ती परिक्रमी निधि (रिवाल्विंग फंड) योजना में 30.00 लाख रुपये की सहायता राशि से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज वाटिका विकसित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत 10.00 लाख रुपये (प्रथम वर्ष) और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 2.00 लाख रुपये और सातवें वर्ष एक मुश्त 10.00 लाख रुपये उपलब्ध हैं तथा आठवें वर्ष से आगे की योजना स्ववित्तपोषित होगी।</p>



घ)	कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम)	
	<p>i) पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों अथवा उनकी समितियों/स्वसहायता समूहों के लिए कृषि विपणन संसाधन के अंतर्गत भण्डारण संसाधन परियोजनाएं।</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 33.33% सब्सिडी (पूँजी लागत पर) जबकि पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी।</p> <p>✓ महिलाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी (1000 मी.टन तक 1166.55 रुपये) 1000 मी.टन से अधिक और 30,000 मी. टन तक 1000.00 रुपये। अधिकतम सीमा 300.00 लाख रुपये, जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम सब्सिडी (1000 मी. टन तक 875.00 रुपये; 1000 मी.टन से अधिक और 30,000 मी.टन तक 750.00 रुपये, अधिकतम सीमा 225.00 लाख रुपये)।</p>
	<p>ii) पंजीकृत एफपीओ, महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों अथवा उनकी सहकारिताओं के लिए भण्डारण संसाधन के अलावा अन्य संसाधनगत परियोजनाएं।</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 33.33% सब्सिडी (पूँजी लागत पर) जबकि पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी।</p> <p>✓ महिलाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा 500.00 लाख रुपये जबकि पुरुषों के लिए 400.00 लाख रुपये।</p>
च)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	
	अ)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)
	i)	लाभार्थी के रूप में ✓ निधि का न्यूनतम 30% आवंटन महिला किसानों के लिए है।



	ब)	प्रावधान (जहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबर या अधिक प्राप्त करती हैं)	
	ii)	किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहन और वैल्यू चेन एकीकरण के लिए विपणन सहायता (दालों और बाजरा के स्थानीय स्तर पर विपणन के लिए अपंजीकृत किसान समूहों, महिलाओं एवं अन्य के स्व-सहायता समूहों के लिए)	✓ 15 किसानों के एक समूह के लिए 2.00 लाख रुपये, केवल एक बार सहायता।
छ)	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)		
	अ)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
		मिट्टी एवं जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता, उपजाऊ मिट्टी प्रबंधन और सिंचित क्षेत्र विकास	✓ छोटे एवं मझोले किसानों के लिए निधि का न्यूनतम 50% आवंटित किये जाने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 30% महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए नियत होगा।
ज)	कृषि मशीनीकरण उपमिशन (एसएमएस)		
	अ)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
	i)	प्रशिक्षण कार्यक्रम	✓ कृषि मशीनरी जाँच एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किसान महिलाओं के लिए महिला अनुकूल उपकरण संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।



ii)	लाभार्थी के रूप में	✓ निधि का न्यूनतम 30 % आबंटन महिला किसानों के लिए है।
ब)	प्रावधान (जहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबर या अधिक प्राप्त करती हैं) अधिकतम देय अनुदान	
iii)	ट्रैक्टर	
	ट्रैक्टर (08-20 पीटीओ एचपी)	✓ महिलाओं के लिए रु. 1.00 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.75 लाख।
	ट्रैक्टर (20-70 पीटीओ एचपी से अधिक)	✓ महिलाओं के लिए रु. 1.25 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 1.00 लाख।
iv)	पावर टिलर	
	पावर टिलर (8 हार्स पावर से कम)	✓ महिलाओं के लिए रु. 0.50 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.40 लाख।
	पावर टिलर (8 हार्स पावर और उससे अधिक)	✓ महिलाओं के लिए रु. 0.75 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.60 लाख।
v)	राईस ट्रांस प्लांटर	
	स्वचालित राईस ट्रांस प्लांटर (धानरोपित) (4 पंक्तियों वाला)	✓ महिलाओं के लिए रु. 0.94 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.75 लाख।
	स्वचालित राईस ट्रांस प्लांटर (धानरोपित) (i) 4-8 पंक्ति से अधिक (ii) 8-16 पंक्ति से अधिक	✓ महिला और पुरुष दोनों के लिए रु. 2.00 लाख।



	स्वचालित कटाई व बंधाई मशीनें	✓ महिलाओं के लिए रु. 1.25 लाख रुपये जबकि पुरुषों के लिए 1.00 लाख रुपये।
vi)	विशेष प्रकार की स्वयं चालित मशीनें	
	रीपर/पोस्ट होल डिगर/बरमा/वायवीय/बोने की अन्य मशीनें	✓ महिलाओं को 0.63 लाख रुपये जबकि पुरुषों के लिए 0.50 लाख रुपये।
vii)	स्वयं चालित बागवानी मशीनें	
	फ्रूट प्लकर्स/ट्री प्रूनर्स/फ्रूट हार्वेस्टर/फ्रूट ग्रेडर/ट्रेक ट्रॉली/नर्सरी-मीडिया फिलिंग मशीन/बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक सिस्टम/छंटाई, बडिंग, झंझरी, कतरने आदि के लिए विद्युत संचालित बागवानी उपकरण।	✓ महिलाओं के लिए 1.25 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 1.00 लाख रुपये।
viii)	भूमि सुधार, जुताई और बीजरोपण की तैयारी के उपकरण	
	एमबी जुताई/डिस्क जुताई/कल्टीवेटर/हैरो/लेवलर ब्लेड/केज व्हील/फरो ओपनर/रिजर/खरपतवार स्लेशर/लेज़र लैण्ड लेवलर/पलटावी यांत्रिक हल	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.15 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)।</p> <p>✓ महिलाओं के लिए 0.19 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रुपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर)।</p>



	रोटावेटर/ रोटोपडलर/पलटावी यांत्रिक हल	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 0.35 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.28 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)। ✓ महिलाओं के लिए 0.44 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रुपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर)।
	चीज़ल हल	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 0.08 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.06 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)। ✓ महिलाओं के लिए 0.10 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रुपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर)।
ix)	बुवाई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण	
	पोस्ट होल डिगर/ आलू बाने की मशीन/ आलू खोदक/मूंगफली खोदक/स्ट्रिप टिल ड्रिल/ट्रैक्टर चालित रीपर/प्याज निकालने की मशीन/धान का पुआल निकालने की मशीन/जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल/ऊँची क्यारी पर बाने की मशीन/गन्ना काटने की मशीन/ स्ट्रिपर/बाने की	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 0.15 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)। ✓ महिलाओं के लिए 0.19 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रुपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर)।



	मशीन/सीड ड्रिल/बोने की बहु फसल मशीन/ बहु-फसल बोने की जीरो टिल मशीन/रिज फुरो प्लांटर	
	टर्बो सीडर/न्यूमेटिक प्लांटर/न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर/न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर/ हैप्पी सीडर/प्लास्टिक मल्लिंग मशीन	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 0.35 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.28 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)। ✓ महिलाओं के लिए 0.44 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से अधिक पर)।
x)	अंतः कृषि उपकरण	
	ग्रास वीड स्लेशर/ चावल का पुआल निकालने की मशीन/ पावर वीडर (2 बीएचपी से कम क्षमता के इंजन वाले)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 0.15 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)। ✓ महिलाओं के लिए 0.19 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रुपये (20 से 35 बीएचपी संचालित से कम पर)।
xi)	अवशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण/सूखी घास और चारा उपकरण	
	गन्ने का कचरा काटने की मशीन/नारियल का खोपड़ा निकालने की मशीन/रेकी/बेलर्स/भूसा काटने की मशीन	<ul style="list-style-type: none"> ✓ महिलाओं के लिए 0.15 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रुपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर)। ✓ महिलाओं के लिए 0.19 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रुपये (20 बीएचपी से अधिक संचालित पर)।



<p>xii)</p>	<p>कटाई एवं खलिहान उपकरण</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.2 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.16 लाख रुपये (3 हार्सपावर से कम इंजन/विद्युत मोटर तथा पावर टिलर एवं 20 हार्स पावर से कम के ट्रैक्टर द्वारा चालित)।</p> <p>✓ महिलाओं के लिए 0.25 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.2 लाख रुपये (3-5 हार्सपावर के इंजन/विद्युत मोटर तथा पावर टिलर एवं 35 बीएचपी से कम के ट्रैक्टर द्वारा चालित)।</p>
	<p>चारा काटने की मशीन (3 हार्सपावर के इंजन/विद्युत मोटर तथा पावर टिलर एवं 20 बीएचपी से कम ट्रैक्टर द्वारा संचालित पर)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.2 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.16 लाख रुपये (3 हार्सपावर से कम इंजन/विद्युत मोटर तथा पावर टिलर एवं 20 हार्स पावर से कम के ट्रैक्टर द्वारा चालित)।</p> <p>✓ महिलाओं के लिए 0.25 लाख रुपये पुरुषों को 0.2 लाख रुपये (3-5 हार्सपावर के इंजन/विद्युत मोटर तथा पावर टिलर एवं 35 बीएचपी से कम के ट्रैक्टर द्वारा चालित)।</p>
<p>ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) चालित उपकरण</p>		
<p>xiii)</p>	<p>भूमि सुधार, जुताई एवं बीजरोपण की तैयारी करने वाले उपकरण</p>	
	<p>एमबी प्लो/डिस्क प्लो/कल्टीवेटर/हैरो/लेवलर ब्लेड/केज व्हील/फरो ओपनर/रिजर/पलटानी यांत्रिक हल</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.44 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रुपये।</p>



	<p>वीड स्लेशर/लेजर एण्ड लेवलर/रोटावेटर /रोटो-पुडलर/ पलटावी यांत्रिक हल/सब-सोइलर/ ट्रेंच मेकर (पीटीओ चालित)/बंद फार्मर (पीटीओ चालित) / पावर हैरो (पीटीओ चालित)/बैकहो लोडर डोजर (ट्रैक्टर चालित)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रुपये।</p>
xiv)	<p>बुवाई, रोपाई, कटाई और खुदाई उपकरण</p>	
	<p>जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ ऊंची क्यारी बोन की मशीन/सीड ड्रिल/ आलू खोदक/ट्रैक्टर चालित रीपर/प्याज निकालने की मशीन</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.44 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रुपये।</p>
	<p>पोस्ट होल डिगर/ आलू बोन की मशीन/ मूंगफली खोदक/स्ट्रिप टिल ड्रिल/पुआल काटने की मशीन/ गन्ना कटर/स्ट्रिपर/ प्लांटर/बहु फसल बोन की मशीन/ जीरो-टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर/रिज</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रुपये।</p>



	<p>फुरो प्लांटर / टर्बो सीडर / न्यूमेटिक प्लांटर / न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांस प्लांटर / न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर / हैप्पी सीडर / कसावा प्लांटर / खाद फैलाने की मशीन / उर्वरक फैलाने की मशीन-पीटीओ चालित / प्लास्टिक मलचिंग मशीन / स्वचालित चावल नर्सरी बुवाई मशीन</p>	
xv)	अंतः खेती उपकरण	
	<p>घास / वीड स्लेशर / चावल का चारा काटने की मशीन / वीडर (पीटीओ चालित)</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रुपये।</p>
xvi)	कटाई व दवाई उपकरण (5 हार्सपावर से अधिक के इंजन / विद्युत मोटर तथा 35 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर द्वारा चालित)	
	<p>मूंगफली का छिलका उतारने की मशीन / श्रेशर / बहुफसलीय श्रेशर / धान श्रेशर / चाफ कटर / चारा / फसल काटने की मशीन / पछियों को डराने का यंत्र</p>	<p>✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रुपये।</p>



xvii)	अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण/सूखी घास और चारा उपकरण	
	गन्ना थ्रेस कटर/ नारियल का खोपरा निकालने की मशीन/ सूखी घास रेक/ बेलर्स (गोलाकार)/ बेलर्स (आयताकार)/ बुड चिपर्स/गन्ना रेटून मैनेजर/कॉटन स्टॉक अपरूटर/स्ट्रॉ रीपर	✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रुपये।
	सभी मैनुअल/पशु द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण/औजार	
xviii)	भूमि सुधार, जुताई एवं बीजरोपण की तैयारी करने वाले उपकरण	
	एमबी प्लो/डिस्क प्लो/कल्टीवेटर/हैरो /लेवलर ब्लेड/फरो ओपनर/रिजर/गीली जुताई यंत्र	✓ महिलाओं के लिए 0.10 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रुपये।
xix)	बुवाई एवं रोपण उपकरण	
	धान रोपाई मशीन/बीज सह उर्वरक ड्रिल/ऊँची क्यारी पर बाने की मशीन/ बुवाई मशीन/ डिबलर/धान की ऊँची क्यारी बनाने की मशीन	✓ महिलाओं के लिए 0.10 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रुपये।
	ड्रम सीडर (4 पंक्तियों से कम)	✓ महिलाओं के लिए 0.015 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.012 लाख रुपये।



	ड्रम सीडर (4 पंक्तियों से अधिक)	✓ महिलाओं के लिए 0.019 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.015 लाख रुपये।
	कटाई एवं दंवाई उपकरण	
	मूंगफली का छिलका निकालने की मशीन/ थ्रेशर/विनोडिंग फैन/ट्री किलम्बर/बागवानी हस्त उपकरण	✓ महिलाओं के लिए 0.10 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रुपये।
	चैफ कटर (3 फीट तक)	✓ महिलाओं के लिए 0.05 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.04 लाख रुपये।
	चैफ कटर (3 फीट से अधिक)	✓ महिलाओं के लिए 0.063 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.05 लाख रुपये।
xx)	अंतः खेती उपकरण	
	ग्रास वीड स्लेशर/वीडर/कोनो वीडर/उद्यान हस्त उपकरण	✓ महिलाओं के लिए 0.006 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.005 लाख रुपये।
xxi)	पौध संरक्षण उपकरण	
	मैनुअल स्प्रेयर: नैपसेक/पद चालित स्प्रेयर	✓ महिलाओं के लिए 0.006 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.005 लाख रुपये।
	विद्युत चालित नैपसेक स्प्रेयर/विद्युत चालित तार्डवान स्प्रेयर (8-12 लीटर क्षमता वाले)	✓ महिलाओं के लिए 0.031 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.025 लाख रुपये।
	विद्युत चालित नैपसेक स्प्रेयर/विद्युत चालित	✓ महिलाओं के लिए 0.038 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.03 लाख रुपये।



	ताईवान स्प्रेयर (12-16 लीटर से अधिक क्षमता वाले)	
	विद्युत चालित नैपसेक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताईवान स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक क्षमता वाले)	✓ महिलाओं के लिए 0.10 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रुपये।
	ट्रैक्टर द्वारा/चालित स्प्रेयर (20 हार्स पावर से कम)	✓ महिलाओं के लिए 0.10 लाख रुपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रुपये।
	ट्रैक्टर माउण्टेड/चालित स्प्रेयर (35 हार्स पावर से कम)	✓ महिलाओं के लिए 0.13 लाख रुपये जबकि 0.10 लाख रुपये।
	पर्यावरण हितैषी लाइट ट्रेप	✓ महिलाओं के लिए 0.014 लाख रुपये जबकि 0.012 लाख रुपये।
	ट्रैक्टर माउण्टेड/चालित स्प्रेयर (35 हार्स पावर से अधिक)	✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि 0.50 लाख रुपये।
	इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर	✓ महिलाओं के लिए 0.63 लाख रुपये जबकि 0.50 लाख रुपये।
xxii)	कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी	
	प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मूल्य सर्वंधन, कम लागत	✓ महिलाओं के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति इकाई जबकि पुरुषों को 1.25 लाख रुपये प्रति इकाई।



	<p>वाले वैज्ञानिक भंडारण, पैकेजिंग इकाईयाँ एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए कटाई उपरांत प्रौद्योगिकीय इकाईयों की स्थापना।</p>	
झ)	कृषि बीमा	
अ)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
		<p>✓ योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों में बजट आवंटन और उपयोग उनकी आबादी अनुपात के अनुसार होना चाहिए।</p>
ब)	प्रावधान (जहाँ पुरुषों के बराबर या अधिक प्राप्त करती हैं)	
1.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)	
	<p>अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहन और वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।</p>	<p>✓ रबी और खरीफ मौसम की खाद्य और तिलहन फसलों के लिए क्रमशः 11% और 9% तक की अधिकतम प्रीमियम के अधीन अधिसूचित फसलों के लिए बीमांकित प्रीमियम दर।</p> <p>वार्षिक व्यावसायिक / बागवानी फसलों के लिए इसे 13% तक सीमित किया गया है।</p>



			<ul style="list-style-type: none">✓ प्रीमियम के स्लैब के आधार पर सभी तरह के किसानों को प्रीमियम का 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।क. 2% तक – कुछ नहीं,ख. 2% से अधिक व 5% तक : 40% बशर्ते नेट प्रीमियम 2% हो।ग. 5% से अधिक व 10% तक : 50% बशर्ते नेट प्रीमियम 3% हो।घ. 10% से अधिक व 15% तक : 60% बशर्ते नेट प्रीमियम 5% हो।च. 15% से अधिक: 75% बशर्ते नेट प्रीमियम 6% हो।✓ यदि प्रतिकूल मौसम/जलवायु आदि के कारण बुवाई न की गई हो, तो बुवाई/रोपण जोखिम के लिए दावे/क्षतिपूर्ति बीमित राशि का 25% भुगतान किया जाएगा।✓ जब फसल की पैदावार अधिसूचित फसलों की गारंटी उपज की तुलना में कम हो गई हो, तब अधिसूचित क्षेत्रों में सभी बीमित किसानों को उपज में कमी के बराबर क्षतिपूर्ति भुगतान देय है।✓ हालांकि, उन अधिसूचित क्षेत्रों में जहाँ
--	--	--	--



			<p>कुल सीमित (शेसहोल्ड यील्ड) का कम से कम 50% नुकसान है, उन्हें संभाव्य दावों का 25% तत्काल राहत के रूप में खाते पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।</p> <ul style="list-style-type: none">✓ इसके अलावा, तूफान के कारण हुई फसल कटाई के बाद (2 सप्ताह तक) की हानि को भी कवर किया गया है।✓ ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिम से हुई हानि का मूल्यांकन स्थानीय आधार पर किया जाता है एवं प्रभावित बीमाकृत किसानों को उनके दावों के हिसाब से भुगतान किया जाता है।
	2.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)	<ul style="list-style-type: none">✓ अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और बागवानी/व्यवसायिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।
			<ul style="list-style-type: none">✓ अधिसूचित फसलों के लिए बीमांकिक प्रीमियम दर, अधिकतम प्रीमियम के अधीन खाद्य और तिलहन खरीफ की फसलों और रबी मौसम के लिए क्रमशः 10% और 8% रखी गई है तथा वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए यह 12% तक रखी गई है।क. 2% तक – कोई सब्सिडी नहीं,



			<p>ख. 2% से अधिक व 5% तक : 25% सब्सिडी, बशर्ते नेट प्रीमियम 2% हो।</p> <p>ग. 5% से अधिक व 8% तक : 40% सब्सिडी, बशर्ते नेट प्रीमियम 3.75% हो।</p> <p>घ. 8% से अधिक: 50% सब्सिडी, बशर्ते न्यूनतम नेट प्रीमियम 4.8% हो 6% का अधिकतम नेट प्रीमियम किसानों द्वारा देय।</p> <p>✓ मौसम सूचकांक (वर्षा/तापमान/सापेक्ष आद्रता/हवा की गति आदि) अधिसूचित फसलों की गारंटी मौसम सूचकांक से (कम/उच्च) अलग रहती हो तो अधिसूचित क्षेत्र में विचलन/कमी को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को देय है।</p>
	3.	नारियल पाम बीमा योजना (CPIS)	<p>✓ प्रति पाम प्रीमियम दर 9.00 रु. (4 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में); से 14.00 रु. (16 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में)</p> <p>✓ 50-75% प्रीमियम की सब्सिडी सभी प्रकार के किसानों को देय है।</p>



			<p>✓ अधिसूचित क्षेत्रों में पाम के पेड़ क्षतिग्रस्त होने पर बीमित किसानों को बीमा राशि के बराबर क्षतिपूर्ति भुगतान/क्षति राशि देय है।</p>
--	--	--	---

